रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30 (आश्विन 8, 1889)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1967 (ASVINA 8, 1889)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 4 सितम्बर, 1967 तक प्रकाशित किये गये :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 4th September, 1967:—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
134	No. 98-ITC(PN)/67 dated, the 2nd September, 1967	Ministry of Commerce	Grant of advance licences to the Registered Manufacturers -Exporters for import of raw materials for fulfilling specific export orders.
	No. 99-ITC(PN)/67, dated the 2nd September, 1967	Do.	Import of non-technical journals and magazines falling under S. No. 169-170 IV in the ITC. Schedule April, 1967-March, 1968 period.
	No.100-ITC(PN)/67, dated the 2nd September, 1967	Do.	Import policy for Synthetic resin finishing agents falling under S. No. I(c)(i)/III during April, 1967-March 1968.
135	No. 101-ITC(PN)/67, dated the 4th September, 1967.	Do.	Import policy for 'studio electric and projector bulbs' [S. No. 38-A(C)/II)] and 'cinema machinery and parts there of' (Appendix 31) for the period April 1967-March 1968.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	763
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	979

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 731

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खंड 3—उप खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . 1591

भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . . 3513

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 201

भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 709

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें . 427

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . 153

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . 527

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . 163

पूरक सं० 39—

23 सितम्बर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट . 1613

2 सितम्बर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े . 1627

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 763

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 979

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 731

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1591

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 3513

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence 201

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 709

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 427

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 153

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 527

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 163

SUPPLEMENT No. 39—

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 23rd September 1967 1613

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 2nd September 1967 1627

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1967

सं० 85-प्रेज/67—राष्ट्रपति निम्नांकित अधिकारी को उसकी सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

श्री विश्वनाथ बक्शी,
उप निदेशक,
गुप्तवार्ता ब्यूरो।

2. यह पदक पुलिस पदक से सम्बन्धित नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

दिनांक 13 सितम्बर 1967

सं० 86-प्रेज/67—राष्ट्रपति प्रादेशिक सेना के निम्नांकित आयुक्त अधिकारी को सराहनीय सेवा के लिये "प्रादेशिक सेना अलंकरण" प्रदान करते हैं :—

मेजर सरोवर आनन्द पुरी (टी० ए०–40150),
इन्फैंट्री।

व० जे० मोर, राष्ट्रपति के उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1967

सं० 87-प्रेज०/67—राष्ट्रपति, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मुहम्मद ईशु,
पुलिस कान्स्टेबल सं० 561,
1ली बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस,
नीमच। (स्वर्गीय)
श्री शोभा राम,
कुक संख्या एफ०/3,
1ली बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस,
नीमच।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21 दिसम्बर, 1966 को मनिपुर के उखरूल सब-डिवीजन में नगैमू ग्राम के निकट केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की एक नई स्थापित चौकी के कान्स्टेबल मुहम्मद ईशु ने चौकी के निकट एक झुरमुट में कुछ उपद्रवियों को देखा। कान्स्टेबल ईशु ने तुरन्त राइफल की गोलीबारी से उपद्रवियों को उलझा दिया जिससे चौकी के लोग सतर्क हो गये। इस बीच उपद्रवियों ने सब दिशाओं से हल्की मशीनगनों तथा राइफलों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। असुरक्षित स्थिति में होने के बावजूद अपने जीवन की परवाह न कर कान्स्टेबल ईशु ने गोलीबारी जारी रखी। किन्तु शत्रु की गोलीबारी बहुत जोरदार थी और कान्स्टेबल को एक गोली लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

चौकी पर आक्रमण के दौरान, श्री शोभा राम ने जो एक रसोइया था, अपनी रसोई को छोड़ कर स्वेच्छा से लड़ते हुए जवानों को रक्षित युद्ध-सामग्री सप्लाई करनी शुरू कर दी। ऐसा करते हुए उसे उपद्रवियों की गोलीबारी के सामने आना पड़ा किन्तु वह इससे भी नहीं रुका और तब तक इस खतरे वाले कार्य को करता रहा, जब तक वह उपद्रवियों की गोली से बुरी तरह जख्मी न हो गया। तीव्र पीड़ा के बावजूद श्री शोभा राम ने वहां से हटाये जाने से इन्कार कर दिया और अपनी कम्पनी के साथ ठहरे रहने का निश्चय किया।

कान्स्टेबल मुहम्मद ईशु एवं श्री शोभा राम ने असाधारण साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 दिसम्बर, 1966 से दिया जायेगा।

सं० 88-प्रेज०/67—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सोम प्रकाश, आई० पी० एस०,
पुलिस अधीक्षक,
एटा (उत्तर प्रदेश)।
श्री इनाम अली,
पुलिस उपाधीक्षक,
एटा (उत्तर प्रदेश)।
श्री लक्ष्मी राज सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
एटा (उत्तर प्रदेश)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिलने पर कि एटा जिला के नगला सुमेर ग्राम में कुख्यात डाकू महाबीरा का गिरोह उपस्थित

है, पुलिस अधीक्षक श्री सोम प्रकाश 21 मई, 1966 को एक पुलिस दल के साथ वहां के लिये रवाना हो गये । गांव में पहुंचने पर उसे घेर लिया गया और पुलिस अधीक्षक ने डाकुओं की खोज की व्यवस्था की। खोज के दौरान पुलिस को एक बैठक में दो बन्दूकें तथा कन्धे पर लटकाने वाली कारतूसो की पेटियां मिलीं । श्री सोम प्रकाश एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री इनाम अली जो दल के एक सदस्य थे, सामने के मकान में रहने वाले व्यक्ति से डाकुओ के ठौर-ठिकाने के बारे मे पूछने के लिये गये । जब वे ऐसा कर रहे थे तो डाकुओं ने उन पर एक हथगोला फेंका जो उनके पास आकर फटा और निकट के फूंस के मकान में आग लग गई । सौभाग्य से श्री सोम प्रकाश एवं श्री इनाम अली घायल होने से बच गये । धुएं की आड़ में डाकू गांव के दूसरे छोर में एक और मकान में जाने में सफल हो गये । श्री सोम प्रकाश एवं श्री इनाम अली ने समय न गंवा कर फौरन डाकुओं की खोज शुरू कर दी और उन्हें ढूंढने में सफल हो गये । जैसे ही श्री सोम प्रकाश, श्री इनाम अली और उप-निरीक्षक श्री लक्ष्मी राज सिंह मकान की ओर आगे बढ़े तो डाकुओ ने एक और गोला उनपर फेंका जो नही फटा और वे तीनों अधिकारी एक बार फिर बच गये । निर्भयता के साथ वे मकान पर गये और मुख्य द्वार को तोड़ कर खोलने का प्रयत्न किया । जब द्वार को धकेला गया तो एक डाकू ने उन पर गोली चलाई। गोली श्री लक्ष्मी राज सिंह की टांग में लगी । घायल होने के बावजूद श्री लक्ष्मी राज सिंह ने जवाबी गोली चलाई । श्री सोम प्रकाश ने डाकुओ को समर्पण करने के लिये कहा किन्तु उन्होने इन्कार कर दिया । डाकुओं को बाहर निकलने पर बाध्य करने के लिये पुलिस अधीक्षक ने मशीनगन से रुक-रुक कर गोली चलाने का आदेश दिया जब कि एक दूसरे दल को छत के सूराखों से गोले फेंकने के लिये तैनात कर दिया । श्री इनाम अली छत पर गये और कमरे में एक हथगोला फेंका । परिणामस्वरूप डाकुओं ने साथ के कमरे में शरण ली । श्री इनाम अली ने उस कमरे की टिन की छत में सूराख किया और एक गोला फेंका । इसी बीच डाकुओं ने श्री इनाम अली पर गोली चला दी और गोलियो ने टिन की छत को बेध दिया । रुक-रुक कर की गई गोलीबारी के पश्चात् पुलिस दल सब डाकुओं को समाप्त करने में समर्थ हो गया । कुछ बन्दूकें तथा काफी मात्रा में युद्ध-सामग्री मिली ।

इस मुठभेड़ के दौरान सर्वश्री सोम प्रकाश, इनाम अली और लक्ष्मी राज सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न कर विशिष्ट साहस तथा उच्च स्तर की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मी राज सिंह को विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मई, 1966 से दिया जायेगा ।

दिनांक 20 सितम्बर 1967

सं० 89-प्रेज/67—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरि मोहन सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
सशस्त्र विभाग, 6वीं असम पुलिस बटालियन,
असम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

9 नवम्बर, 1966 को लगभग 4 बजे सायं पुलिस उप-निरीक्षक श्री हरि मोहन सिंह जो कछार मिज़ो पहाड़ियो की सीमा पर स्थित घरमुड़ा चौकी की कमान कर रहे थे, को सूचना मिली कि शस्त्रों से भली प्रकार सज्जित लगभग 30 मिज़ो विद्रोही आरक्षित वन मे स्थित खेड़ा लालचेरा मे आए है । हालांकि रात्रि निकट आ रही थी और लालचेरा का मार्ग घने जंगल और गहरी खड्डो से हो कर जाता था जो विद्रोहियो के लिये छिपने के लिये अत्युत्तम उपयोगी जगह थी, फिर भी श्री हरि मोहन सिंह ने विद्रोहियो के गिरोह को रोकने के लिए 12 जवानो के एक दल को साथ लिया । अंधेरे मे फासिले को तय कर पुलिस दल लालचेरा घाट पर रात्रि के लगभग 11 बजे पहुंचा और रात्रि घात मे बैठकर काटी । दूसरी सुबह सवेरे उन्होंने धलेश्वरी नदी को कामचलाऊ बांसो के बेड़े द्वारा पार किया और हालांकि उसके जवान बहुत थक गये थे, श्री हरि मोहन सिंह ने गिरोह की तलाश जारी रखी । एक उपयुक्त स्थान पर वे घात में बैठ गए और लगभग तीन घण्टे की प्रतीक्षा के पश्चात घने जंगल के तंग मार्ग पर विद्रोही दिखाई दिये । श्री हरि मोहन सिंह के नेतृत्व मे पुलिस दल ने विद्रोहियो पर गोलीबारी शुरू कर दी और उन्हे भारी क्षति पहुंचायी । अचानक हमले ने विद्रोहियो को बिलकुल हतोत्साह कर दिया जो भाग खड़े हुए और अपने पीछे एक मृत, काफी संख्या मे हथियार और गोला बारूद तथा लूटी हुई सम्पत्ति छोड़ गये ।

इस मुठभेड़ के दौरान श्री हरि मोहन सिंह ने विशिष्ट साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 9 नवम्बर, 1966 से दिया जायेगा ।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली-1, दिनांक अगस्त 1967

सं० 6/24/67-सी० एस० (1)—निम्नलिखित सेवाओ/पदों में खाली जगहों को भरने के लिए फरवरी, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं:—

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा-सहायक ग्रेड;

(ii) भारतीय विदेश सेवा (बी०) सामान्य संवर्ग (सहायक) का ग्रेड, IV;

(iii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-ग्रेड IV (सहायक); और

(iv) केन्द्रीय सचिवालय सेवा भारतीय विदेश सेवा (बी०) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में सम्मिलित न होने वाले केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों/कार्यालयों में विद्यमान सहायकों के पद।

एक उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओ/पदो के लिए प्रतियोगी हो सकता है। वह जितनी सेवाओं/पदो

के लिए प्रतियोगी होना चाहता है, उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर दे। उम्मीदवारो को सावधान किया जाता है कि उन की किसी ऐसी सेवा में/पद पर नियुक्ति के लिए विचार नही किया जायेगा जिसका उन्होने उल्लेख न किया हो।

नोट :—उम्मीदवारो से अपेक्षा की जाती है कि जिन सेवाओ/पदो के लिए वे प्रतियोगी होना चाहते हो, उनका अधिमान-क्रम से स्पष्ट उल्लेख करें। उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र मे सेवाओ/पदो के लिए जिस अधिमान-क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया है उसमें परिवर्तन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, यदि वह 30 अप्रैल, 1968 को या उससे पहले सघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में न पहुंच गया हो।

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट II मे निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएगे।

3. उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत मे स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत-मूलक व्यक्ति जो भारत मे स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लका और पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उगाडा तथा तजानिया सयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका तथा जंजीबार) देशो से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियो के अतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता-प्रमाणपत्र एक साल के लिए दिया जायेगा जिसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारो से पात्र-प्रमाणपत्र लेना आवश्यक नही होगा—

(i) वे व्यक्ति जिन्होने 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत मे प्रव्रजन (माइग्रेट) किया हो और जो तब से आम तौर पर भारत मे ही रह रहे हो।

(ii) वे व्यक्ति जिन्होने 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत मे प्रव्रजन (माईग्रेट) किया हो और संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप मे रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) ऊपर की (घ) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल मे कोई भग (ब्रेक) नही हुआ है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल मे भग हुआ हो और उसने 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो या शुरू कर सके तो उसे भी औरो की तरह पात्रता-प्रमाणपत्र देना होगा।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटि के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य सवर्ग (सहायक) के ग्रेड IV मे नियुक्ति के पात्र नही होगे।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाणपत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिए जाने की शर्त के साथ अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

4. जो उम्मीदवार किसी अनसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या पाडिचेरी सघ-राज्य-क्षेत्र का निवासी न हो या सघ-राज्य क्षेत्र गोआ, दमन दीव का निवासी न हो या पूर्वी अफ्रीका के कैनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ टान्जनिया (भूतपूर्व टांगानीका और जजीबार) का प्रव्रजक न हो, उसे इस परीक्षा मे अधिक-से-अधिक दो बार बैठने दिया जाएगा। यह प्रतिबन्ध सन् 1962 की परीक्षा के समय से लागू हैं।

नोट 1—यदि उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओ/पदो के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह प्रतियोगिता-परीक्षा मे एक बार उक्त परीक्षा के अंतर्गत आनेवाली सब सेवाओं/पदो के लिए बैठ चुका है।

नोट 2—यदि उम्मीदवार ने वस्तुत. एक या अधिक विषयो की परीक्षा दी हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठ चुका है।

5(क) इस परीक्षा मे बैठने के लिए यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1968 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु किसी भी हालत मे उसकी आयु पूरे 24 साल की अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1944 से पहले न हुआ हो और 1 जनवरी, 1948 के बाद न हुआ हो।

किन्तु ऐसा उम्मीदवार भी इस परीक्षा मे विशेष स्थिति मे बैठ सकेगा जिसका जन्म 2 जनवरी, 1944 से पहले हुआ हो परन्तु 2 अगस्त, 1943 से पहले न हुआ हो। यह छूट केवल 1968 मे होने वाली परीक्षा के लिए ही उपलब्ध होगी।

(ख) ऊपर बतायी गई ऊपरी आयु-सीमा मे इस प्रकार छूट दी जा सकती है —

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम-जाति का हो तो अधिक-से-अधिक पाच वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो तो तथा पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और

1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ-राज्य-क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रियेट) हो और अक्टूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार भारत-मूलक व्यक्ति हो और उसने केनिया युगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रिएट) हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में या अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में या अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान विकालांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कर्मचारियों के लिये जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के हों अधिक-से-अधिक 8 वर्ष तक; और

(xii) यदि कोई उम्मीदवार संघ-राज्य-क्षेत्र गोआ, दमन तथा दीव का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक।

ऊपर बताई गई दशाओं के अलावा, निर्धारित आयुसीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जा सकती।

6. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिये, या उसमें परिशिष्ट-1-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन-पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसा उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हो तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जाएगी; और यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।

नोट 2—विशेष मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिसमें उक्त योग्यता न हो, शैक्षिक, दृष्टि से योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं में से किसी के द्वारा दी गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

नोट 3—जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्रियां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट-I में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदन-पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है।

7(क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किये जाने के कारण अमान्य (वायड) हो जाता है, उसे उन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं तब तक पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और वह उस पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण अमान्य (वायड) हो जाए कि उक्त विवाह उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवत पत्नी हो, वह उन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति की, जिनके लिए इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और वह उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ग) विवाहित महिला उम्मीदवार आमतौर पर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग (सहायक के ग्रेड-IV में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगी। इस ग्रेड की अविवाहित महिला

को अपना विवाह करने से पहले सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। विवाह होने के बाद किसी भी समय यदि सरकार को यह संतोष हो जाए कि उसकी पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि उनके कारण सेवा के एक सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों को उचित रूप से और दक्षतापूर्वक पूरा करने में बाधा पड़ सकती है तो उसे सेवा से त्यागपत्र देने के लिये कहा जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से ही सरकारी सेवा में हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन न कर सके। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की संभावना हो।

10. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

13. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के अनुबंध-I में निर्धारित फीस देनी होगी।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

15. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किये हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किए हैं जिनमें कोई हेरफेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा-भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका दांडिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किया जा सकता है।

(क) साथ ही उसे हमेशा के लिया या किसी विशेष अवधि के लिए:—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से आयोग रोक सकता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी खाली जगहें आरक्षित की जाएंगी जितनी कि सरकार तय करे।

16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का अर्थ है ऐसी कोई भी जाति/आदिम जाति जो कि अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूची (तरमीम) आदेश, 1956 में उल्लिखित हो और जिसके साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956; संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (अंदमान तथा निकोबार द्वीप) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1959; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 पढ़े जायें।

17. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गये कुछ प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा; और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिये सिफारिश की जाएगी जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा में योग्य माने गए हों।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा/पद के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को उपयुक्त रीति से ध्यान में रखते हुए उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उस सेवा/पद में, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली जगहों पर उसकी नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी।

नोट:—आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा बताये गये अधिनियम-क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा (देखिये—आवेदन-पत्र का खाना 26) लेकिन उम्मीदवार को ऐसी किसी भी सेवा में पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए उसकी परीक्षा ली गई हो।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

19. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

20. उम्मीदवारों को सहायक-ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोग द्वारा दी जाने वाली टाईपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे नियत अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें। तो वे सहायक ग्रेड में आये वेतन-वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न करलें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाय और परीक्षा पास कर लेने पर या उसके छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा कि उनकी वेतन-वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

21. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (बी०) में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-III में संक्षेप में दी गई हैं।

मंगली प्रसाद, उप सचिव

परिशिष्ट-I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(देखिए नियम 6)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम से नियमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम के स्थापित किए गए हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित किए गए हों।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।

मांडले विश्वविद्यालय।

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंडन, मैन्चेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगों और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज) नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय, और राजशाही विश्वविद्यालय।

परिशिष्ट I-क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्यता-प्राप्त योग्यताएं

(देखिए नियम 6)

1. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी हरिद्वार का "अलंकार"।
2. काशी विद्यापीठ, बनारस का "शास्त्री"।
3. फ्रांसीसी परीक्षा "बकालारे" (Baccalawreat)।
4. फ्रांसीसी परीक्षा "प्रापेदतीक" (Propedentique)।
5. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद के ग्राम-सेवाओं को डिप्लोमा।
6. विश्वभारती विश्वविद्यालय का ग्राम-सेवा डिप्लोमा।
7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का वाणिज्य में डिप्लोमा।
8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा।
9. भारतीय खान और अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान विद्यालय, धनबाद, को खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
10. श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डिचेरी, का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

परिशिष्ट–II

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध . . .	100	2 घंटे
2. सामान्य अंग्रेजी . .	200	3 घंटे
3. अंकगणित . . .	100	2 घंटे
4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है . .	100	2 घंटे

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।

3. उम्मीदवार प्रश्नपत्र 1 और 4 का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्नपत्र 2 और 3 का उत्तर भी सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना होगा।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्नपत्र के लिये होगा, उसी प्रश्नपत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट 2—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के खाना 7 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए; नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल सत ही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, तौल और माप की मैट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है। प्रश्नपत्रों में यथावश्यक मुद्रा, तौल और माप की मैट्रिक प्रणाली से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. **निबन्ध**—दिये गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी** :

(i) **सार-लेखन और मसौदा-लेखन**—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आम तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेजेज) दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें उस सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्रों, ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य भूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

(iii) शब्द-भेद (पार्टस आफ स्पीच), वाक्य-विश्लेषण, वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट स्पीच)।

नोट—प्रश्नपत्र 2 में सार-लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे।

प्रश्नपत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है। वाक्य-विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा।

3. **अंकगणित** :

अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, रेखिक ग्राफों को पढ़ना और आंकड़ों का सारणीकरण।

बुद्धिमत्ता, यथातथ्यता और काम को तेजी से करने की योग्यता की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे।

4. **सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत की भूगोल भी शामिल है** :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े-लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्नपत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

परिशिष्ट-III

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

किसी भी पद को चार वर्ष से अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ाया जायगा।

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

(1) सेलेक्शन ग्रेड (उप-सचिव या समकक्ष)—रु० 1100—50—1300—60—1600—100—1800।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष)—रु० 900—50—1250।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350—25—500—30—590—कु० रो०—30—800—कु० रो०—30—830—35—900।

(4) सहायक ग्रेड—रु० 210—10—270—15—300—कु० रो०—15—450—कु० रो०—20—530।

नोट :—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, उन्हें कम-से-कम 100 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा-अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परीवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

3. परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किये गये सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी भी मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

5. सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

6. जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद, भारतीय विदेश सेवा (बी०) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(ii) **रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा**

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, रेल में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना द्वारा नियमित होती हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के समान ही हैं।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं :—

(i) रेलवे निदेशक/अवर सचिव—रु० 900–50–1250।

(ii) अनुभाग अधिकारी—रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900।

(iii) सहायक—रु० 210–10–270–15–300–कु० रो०–15–450–कु० रो०–20–530।

अनुभाग अधिकारियों के पद और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, उन्हें कम-से-कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(ग) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(घ) परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को, उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(ङ) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अनुसार कर्मचारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते, जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी किए जा सकते हैं।

(छ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी जिनमें परिवीक्षाधीन अधिकारी भी शामिल हैं :—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे; और

(ii) जिस दिन कार्य सम्भालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर-अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदान करेंगे।

(ज) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा-टिकट-आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(झ) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है; परन्तु चिकित्सा-सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(iii) **भारतीय विदेश सेवा (बी०)**

विदेश मंत्रालय और विदेश-स्थित भारतीय राजनयिक कौंसलीय और वाणिज्यिक मिशनों और केन्द्रों (पोस्ट्स) में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड चार में शामिल किए गए हैं। भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग में विभिन्न ग्रेड इस प्रकार हैं, इनमें ग्रेड चार से नीचे के ग्रेड शामिल नहीं हैं :—

ग्रेड	पद	वेतन-मान
ग्रेड-I	मुख्यालय में अवर सचिव, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों (पोस्ट्स) में प्रथम और द्वितीय सचिव।	रु० 900–50–1250
एकीकृत ग्रेड-II ग्रेड-III	मुख्यालय में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में कांसूल और रजिस्ट्रार	रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900
ग्रेड-I	मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों, केन्द्रों (पोस्ट्स) में सहायक	रु० 210–10–270–15–300–कु० रो०–15–450–कु० रो०–530

नोट 1 :—एकीकृत ग्रेड II और III तथा ग्रेड चार में सीधे भर्ती की जाती है। एकीकृत ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को न्यूनतम वेतन 400 रु० प्रतिमास दिया जाता है।

नोट 2 :—समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार ग्रेड I के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के ज्येष्ठमान में पदोन्नत किया जा सकता है, जिसका वेतन-मान रु० 900–50–1000–60–1600–50–1800 है।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड चार के लिए चुने गए उम्मीदवार स्थायी और दीर्घकालीन अस्थायी खाली जगहों पर नियुक्त किये जाएंगे। ये नियुक्तियां सामान्यतया—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों के योग्यताक्रम के अनुसार की जाएंगी। परन्तु जो उम्मीदवार विदेश सेवा के लिए योग्य नहीं होंगे, उनको योग्यता में से निकाल दिया जाएगा। विदेश सेवा के लिए योग्य उन उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित चयन बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने के लिए कहा जा सकता है।

3. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड II (चार) में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्तियों से भारत में या भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकेगा।

5. भारत में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सदस्यों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो समकक्ष पदों वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। विदेश में सेवा करते समय इन अधिकारियों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानों के अनुसार विदेश भत्ता, मुफ्त सुसज्जित निवास, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, सज्जा भत्ता (आउटफिट अलाउंस) और अपने लिए और अपने परिवारों के लिए यात्रा-भाड़ा आदि की विशेष सुविधाएं मिल सकेंगी। ये सुविधाएं सरकार के सामान्य निर्णयों के अनुसार खत्म की जा सकती हैं या घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती, संवर्ग, ज्येष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 द्वारा तथा उन अन्य नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, जिन्हें सरकार इसके बाद बनाए और इस सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड चार में नियुक्त व्यक्ति भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती संवर्ग, ज्येष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 में दिए हुए उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(2) **चुनाव आयोग, भारत**

चुनाव आयोग में सहायकों के पद का वेतन-मान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रु० 210–10–270–15–300 कु० रो०–15–450–कु० रो०–20–520 है। फिर भी, ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा-अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा।

3. परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

4. सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे। इसके आगे दो और ऊंचे ग्रेड ये हैं :—

1. अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350–25–500–30–590–कु० रो० 30–800–कु० रो०–30–830–35–900।

2. अवर सचिव ग्रेड—रु० 900–50–1250।

(3) **पर्यटन विभाग**

पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों का वेतन-मान रु० 210–10–270–15–300–द० रो०–15–450–द० रो०–20–530 है जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड चार के लिए निर्धारित है। किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते।

सहायकों के रूप में सीधे भरती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे, और इस अवधि में उन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति दिखाने में या परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहने का परिणाम सेवा से मुक्ति हो सकता है।

परिवीक्षा की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, उसकी नियुक्ति पर पुष्टि कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक हो रहा हो तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा-अवधि आगे और उस सीमा तक बढ़ायी जा सकती है जितनी कि सरकार आवश्यक समझे।

समय-समय पर इस विषय में जारी किए जाने वाले नियमों के अधीन, सहायक, सहायक निदेशक (प्रशासन) के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे जिसका वेतन-मान 400–25–500–30–590–द० रो०–30–800 रु० है।

दिनांक 19 सितम्बर 1967

सं० 1/1(1)(ii)/67–ए०एन०एल०—लक्कादिव, मिनिकोई और अमिनदिवी द्वीप-समूह के प्रशासक से सम्बन्धित सलाहकार परिषद में, निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को राष्ट्रपति जी 31 मार्च 1968 तक की अवधि के लिये मनोनीत करते हैं :—

1. अन्द्रोत्त के श्री पी० एम० सय्यद, सदस्य, लोक सभा।
2. अकत्ती के श्री के० एन० चरियकोया।
3. अमिनि के श्री पुतियपंडारम आलिकुट्टी।
4. कवारत्ती के श्री अटकोया थंकल।
5. मिनिकोई की श्रीमती वलुमागोत्ति बितारजे पासुम कईफा।
6. कटामत्त की श्रीमती अश्रीब्बेटा मैमूनाथ।
7. चेटलाट के श्री पटिप्पुरा मोहम्मद।
8. बित्रा के श्री चेरियाथिथ्थातिथोडा सय्यद मुखारी।
9. अन्द्रोत्त के श्री के० नल्लकोया थंकल।
10. कलपेनी के श्री के० मोहम्मद कोया काजी।

अ० द० पांडे, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1967

सं० 1-2/65-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के संकल्प संख्या 1-2/63-एम०ई०आई०,

दिनांक 25 मार्च 1964 के सन्दर्भ में जो बाल बियरिंग उद्योग के लिये एक सामिति गठित करने के सम्बन्ध में था।

2. यह निश्चय किया गया है कि श्री जी० वी० रामाकृष्ण के स्थान पर जिन्होंने निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्य-भार छोड़ दिया है, डा० राम० के० वेपा, आई० ए० एस०, प्रबन्धक निदेशक, आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०, हैदराबाद, बाल बियरिंग उद्योग के सदस्य होंगे।

आई० वी० चुनकत, अवर सचिव

संकल्प

विदेशी सहयोग समिति

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1967

सं० आई० पी० एण्ड एफ० सी०-5-1/66—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय के ज्ञापन संख्या आई० पी० एण्ड एफ० सी०-5-1/66 दिनांक 19 फरवरी, 1966 के अन्तर्गत डा० ए० रामास्वामी मदुलियार की अध्यक्षता में एक समिति का इस आशय से गठन किया गया कि वह सरकार से उपलब्ध देशी जानकारी का पूर्ण उपयोग हेतु सामान्य मार्ग-दर्शक नीति के बारे में सिफारिश करे और ऐसे मामलों के बारे में भी सिफारिश करे जिनमें विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी जाये।

समिति के विचारधीन विषय निम्नलिखित थे :—

(क) इस बात का निर्धारण करना कि आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विदेशों से तकनीकी जानकारी के आयात को किस हद तक समाप्त किया जा सकता है।

(ख) इस बात का निर्धारण करना कि किन सामान्य शर्तों के अधीन देशी जानकारी को व्यावसायिक प्रयोग के योग्य समझा जाय ; और

(ग) ऐसे मार्ग-दर्शक नीति का सुझाव दे कि किस प्रकार के मामलों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाये।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो कि उसने 4 मई, 1967 को प्रस्तुत किया, निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(1) आयात की जाने वाली जानकारी विशेष कर प्रक्रिया संबंधी जानकारी अथवा उत्पादनों के नमूने आदि के बारे में एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है और इस प्रयोजन से सुस्थापित उद्योगों तथा नये और जटिल उद्योगों में भेद किया जाना चाहिये।

(2) सामान्यतः ऐसे उद्योग जिनमें पूंजीगत वस्तुओं अथवा मशीनों के भारी आयात की आवश्यकता हो और जहां सरकार की नीति उनमें विदेशी पूंजी के विनियोजन की अनुमति द, वहां दूसरे किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता की अपेक्षा देशी तथा विदेशियों के सांझे संस्थान अधिक लाभप्रद हैं।

(3) देशी जानकारी की उपयोगिता का अन्दाज़ लगाने के लिए कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे :—

(क) क्या देशी जानकारी को व्यावसायिक रूप में ढाला गया है अथवा वह समुचित थोड़ी अवधि में व्यावसायिक व्यवहार के क्षम भी है ?

(ख) क्या वह जानकारी विनियोक्ता तथा राष्ट्रीय दृष्टि से कम खर्च वाली भी है ?

(ग) क्या यह जानकारी नए उद्योगियों को उपलब्ध करायी जा सकती है या केवल यह विद्यमान उत्पादक को ही उपलब्ध है और क्या वह प्रतिद्वन्द्वी को यह जानकारी दिये जाने में हिचकता है ?

(4) विदेशी सहयोग तथा उनकी शर्तों के बारे में महानिदेशक तकनीकी विकास और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बीच पूर्व परामर्श की आवश्यकता है। और यदि मतभेद हो तो वह शीघ्र ही विदेशी करार समिति के समक्ष रखे जाने चाहियें।

(5) अनुसंधान तथा उद्योग के "प्रथम आपसी मिलन" जो कि दिसम्बर 1965 में हुआ, की सिफारिशों के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली तकनीकी शोध समितियां इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेषकर ये समितियां, जहां भी उचित हो, भिन्न प्रकार की जानकारी की भारतीय परिस्थितियों तथा उपलब्ध कच्चे माल की दृष्टि में गुणावगुणा का अध्ययन करेंगी।

(6) देशी जानकारी की परिमितता को ध्यान में रखते हुए, एक स्वतन्त्र निगम की स्थापना की आवश्यकता है जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो कि नमूनों तथा इंजीनियरी सेवाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित कर सके और जो ऐसे उद्यमियों को जो देशी जानकारी का व्यावसायिक रूप में विकास का काम हाथ में लें हानिभय की पूंजी उपलब्ध कर सके। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा दूसरी सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित की गई जानकारी के लाइसेंस दिये जाने के अपने वर्तमान कार्य के अतिरिक्त उद्योग में विश्वास उत्पन्न किये जाने और विकास तथा हानिभय के लिए धन उपलब्ध किये जाने के महत्वपूर्ण काम को कर सकती है।

(7) वैज्ञानिकता त था औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को उद्योग में देशी जानकारी के प्रति विश्वास का संचार करने के कार्य को करना चाहिये। समिति ने ऐसे कई पग उठाये जाने की सिफारिश की है जो कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को ऐसे काम करने के सुयोग्य बनाएंगे जिन उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई थी।

(8) विदेशी सहयोग के लिए प्राप्त आवेदनों के भुगतान की प्रगति पर नज़र रखने के लिए औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में एक केन्द्रीय समन्वय

एकक की आवश्यकता है। ऐसे मामलों को जिनका भुगतान 3 साल में न हुआ हो, विदेशी विनिमय समिति के समक्ष रखा जाये चाहे वह विभिन्न मंत्रालयों को सौंपी गयी शक्तियों की परिधि में ही क्यों न आते हों।

(9) तकनीकी सहयोग करारों की अवधि के बारे में किसी कड़े नियम का पालन न किया जाये। साधारणतः ऐसे करारों की अवधि उत्पादन प्रारम्भ होने के समय से 5 से 10 साल के बीच होनी चाहिये।

(10) तकनीकी जानकारी के दोहरे आयात को रोकने के लिये वर्तमान उत्पादक को अपनी जानकारी प्रदान किये जाने के लिए बाध्य किया जाना न तो व्यावहारिक है और न वांछनीय ही। और यह अधिक उचित होगा कि वर्तमान एकक परामर्श प्राप्त करने वाली फार्म को आपसी बातचीत से तय की गई शर्तों के आधार पर प्रक्रिया संबंधी जानकारी अथवा उत्पादों के नमूने इत्यादि दें। वर्तमान एककों को अपनी जानकारी प्रदान करने के लिये वित्तीय प्रलोभन दिये जायें।

(11) गवेषणा तथा विकास और अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है और इसको बढ़ावा दिये जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जायें। उद्योग को अनुसंधान तथा विकास पर व्यय की गयी राशि से दुगनी तक समवत कर में छूट दी जाये और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक यन्त्रों आदि के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के उपबन्धों में उदारता बरती जानी चाहिये।

(12) विद्यमान कमी को पूरा करने के लिये नमूनों तथा परामर्श सेवाओं के अधिक विकास की आवश्यकता है।

(13) सरकार को जानकारी के उदार आयात तथा देशी अनुसंधान और जानकारी के संमिश्रण के बारे में जापान द्वारा अपनायी गयी नीतियों के विस्तृत अध्ययन का प्रबन्ध करना चाहिये।

(14) सरकारी क्षेत्र देशी तकनीकी जानकारी, नमूने तथा इंजीनियरी सेवाओं के विकास के बारे में काफी काम कर सकता है।

(15) निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी सहायता के बारे में उदार नीति अधिक लाभप्रद होगी।

समिति की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय

सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर लेने के पश्चात् समिति की सिफारिशों को निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्य रूप से स्वीकार करती है। सरकार देशी जानकारी के उपयोग तथा प्रोत्साहन के महत्त्व को पुनः दोहराती है और जहां तक संभव हो व्यावहारिक सीमाओं के अन्तर्गत उनको ऐसे प्रोत्साहन तथा विशेष सुविधायें प्रदान की जायें जो देशी जानकारी का प्रयोग करने के इच्छुक हैं, विशेषकर आवश्यक उपकरण तथा कच्चे माल के आयात की सुविधायें।

सिफारिश नं० 2

इस विचार पर बल दिया जाना आवश्यक है, जिसे कि समिति ने व्यक्त किया है कि ऐसी प्रक्रियाओं के मामले में जो कि दीर्घकाल से चल रही हैं और जो कि निकट भविष्य में तकनीकी प्रयोग के अभाव के फलस्वरूप समाप्त नहीं हो सकती उनके नमूने, जानकारी इत्यादि को सीधे से-खरीदे लेना, विदेशी सांझेदारी की अपेक्षा अधिक लाभदायक होगा।

सिफारिश नं० 9

इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार इस बारे में ऐसा विचार रखती है कि वर्तमान करारों की अवधि बढ़ाने के मामले में अब तक अपनायी गई नीति से अधिक कड़ी नीति अपनायी जानी चाहिये।

सिफारिश नं० 10

ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में जिनकी जानकारी का मूल्य बहुत अधिक है विशेषकर रसायन उद्योगों में विदेशी सहायता को समिति द्वारा निर्धारित 5 या 6 की सीमा से भी कम की अनुमति दी जानी चाहिये। गैर-सरकारी परामर्शदात्री संगठनों, जो कि जानकारी का आयात दूसरों को दिये जाने के लिये करते हैं पर उचित शर्त लगाई जानी चाहियें जिससे कि वह दूसरे लोगों को इस जानकारी को उचित शर्तों पर प्रदान करें।

सिफारिश नं० 11

सरकार अनुसंधान तथा विकास पर व्यय की जाने वाली राशि से दुगुने तक को समवेत कर छूट के सुझाव को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक उपकरण तथा यंत्रों आदि के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के उपबन्धों में उदारता बरते जाने के सुझाव को सरकार स्वीकार करती है।

सिफारिश नं० 15

यह वांछनीय होगा कि 'प्रमुख रूप से निर्यातोन्मुख' की व्याख्या की जाये। ऐसे उद्योग जो देश में सुस्थापित हैं और जिन्हें विदेशी सहायता की सामान्य रूप से अनुमति नहीं, निर्यात 75 प्रतिशत तक होना चाहिये। अन्य मामलों में निर्यात की मात्रा जो कि उन्हें विशिष्ट व्यवहार के योग्य बनाए, प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के अनुसार निर्धारित की जाये।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया गया कि जनसाधारण की जानकारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

एन० एन० वांचू, सचिव

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1967

सं० 30(1)/67-सी० डी० एन०(1)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34 के उपबन्धों के अन्तर्गत, जिसको नियम 35 तथा 10 के साथ पढ़ा जाये, जो

निम्नलिखित व्यक्ति परिषद् की शासी निकाय के सदस्य नहीं रहे थे, उन्हें नियम 35 के अन्तर्गत, जिसके साथ नियम 11(बी) को भी पढ़ा जाये, एतद् द्वारा उनकी सम्बन्धित सदस्यता के अवशिष्ट काल के लिये, अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारी पुनः नियुक्त/मनोनीत न कर दिये जाएं, दोनों में से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, के लिये उनके नामों के सामने लिखे अनुसार, शासी निकाय का सदस्य पुनः नियुक्त/मनोनीत किया गया है :—

क्र० सं०	नाम इत्यादि	सदस्यता समाप्ति की तिथि	पुनः नियुक्त/मनोनीत किये जाने की अवधि
1	2	3	4
1.	डा० टी० एस० सदाशिवन, निदेशक, विश्वविद्यालय पौद विज्ञान प्रयोगशाला, मद्रास ।	28 मार्च 1967	28 मार्च 1967 से 16 फरवरी 1969 तक पुनः नियुक्त ।
2.	डा० के० रमैया, उप - कुलपति, उड़ीसा कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।	30 मई 1967	30 मई 1967 से 16 फरवरी 1969 तक पुनः नियुक्त ।
3.	श्री एस० जे० मजूमदार, अपर सचिव, खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।	30 मई 1967	30 मई 1967 से 24 मार्च 1969 तक इसी मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में पुनः मनोनीत ।
4.	डा० आत्मा राम, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् तथा पदेन सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरसरकार, नई दिल्ली ।	30 मई 1967	30 मई 1967 से 3 अप्रैल 1969 तक शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में पुनः नियुक्त ।

पी० एम० हरीहरन, उप-सचिव

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1967

सं० 29(1)/66-सी० डी० एन०(1)—डा० त्रिगुण सेन, तत्कालीन उप-कुलपति, वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, जिन्हें खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिनांक 31 जुलाई 1966 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कृषि अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था, का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है ।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 तथा इसके साथ पढ़े गये नियम 77 तथा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री बी० एम० के० सिन्हा, उप-कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, को परिषद् की कृषि शिक्षा की स्थायी समिति का सदस्य, 1 अगस्त 1967 से 30 जुलाई 1969 तक की अवधि के लिये अथवा समिति में उनके द्वारा श्री सिन्हा के उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक, इनमें जो भी अवधि पहले समाप्त हो, सहर्ष मनोनीत करते हैं ।

आर० के० राम, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1967

संकल्प

सं० 25-5/67—एल० डी० 1—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) संकल्प संख्या 25-5/66 एल० डी० आई० दिनांक 29 जून, 1967 के आंशिक संशोधन के अनुसार श्री डी० पी० मिश्रा जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री पद से त्याग-पत्र दे दिया है उनके स्थान पर श्री गोविन्द नारायण सिंह मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश को गोरक्षा सम्बन्धी समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए ।

(1) समस्त राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र
(2) लोक सभा सचिवालय
(3) राज्य सभा सचिवालय
(4) प्रधान मंत्री सचिवालय
(5) मन्त्रिमंडल सचिवालय
(6) अध्यक्ष गो रक्षा समिति, नई दिल्ली
(7) गो रक्षा समिति के समस्त सदस्य
(8) सचिव, गो रक्षा समिति
(9) सर्वदलीय गो रक्षा महाभियान समिति
(10) केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली
(11) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के गजट में प्रकाशित की जाए ।

एस० जे० मजुमदार, अतिरिक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 11 सितम्बर 1967

सं० 24/4/67—एफ० पी०—केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती इन्दुमती बी० पंडित का फ़िल्म सलाहकार बोर्ड की सदस्यता से त्याग-पत्र इसी समय से स्वीकार कर लिया है ।

2. समय समय पर संशोधित, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/29/58-एफ० पी०, तारीख 5 फरवरी 1959 के अनुसार, सरकार ने श्रीमती इन्दुमती वी० पंडित जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, **के स्थान पर**, श्रीमती कमला मनकेकर को इसी समय से दो साल की अवधि के लिए, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सदस्या नियुक्त की है ।

बाबू राम अग्रवाल, अवर सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1967

संकल्प

सं० ई० एल०-2-34(45)/66—हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के बनने से यह आवश्यक हो गया है कि इसे उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में शामिल किया जाये । यह निर्णय किया गया है कि अंशतः संशोधन करते हुए उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की बनावट और अध्यक्षता से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-2-35(3)/63, दिनांक 13 फरवरी 1964, जिसे इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-2-34(27)/66, दिनांकित 5 अगस्त 1966 द्वारा संशोधित किया गया था, के अनुच्छेद 2 को निम्नलिखित रूप से पुनः शब्दांकित किया जाये :—

1. निर्माण, सिंचाई व बिजली के कार्यभारी राज्य मंत्री अथवा उनका कोई प्रतिनिधि, जम्मू व कश्मीर;
2. अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड;
3. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड;
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड;
5. अध्यक्ष, दिल्ली बिजली पूर्ति समिति;
6. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड;
7. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश;
8. केन्द्रीय बिजली प्राधिकार का एक प्रतिनिधि; और
9. सदस्य सचिव ।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष दो वर्षों की अवधि के लिये इस क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे । इसके पश्चात् दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश के सदस्य वर्णक्रमरोपन से अपनी-अपनी पारी पर एक वर्ष के लिये अध्यक्ष बनेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के संघीय प्रदेश, भारत सरकार के मंत्रालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

दिनांक 14 सितम्बर 1967

संकल्प

सं० ई० एल० 2-35(2)/63—गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्यों को मिलाकर पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की स्थापना से संबद्ध इस मन्त्रालय के संकल्प सं० ई० एल० 2-35(2)/63, दिनांक 28 मार्च, 1964 के अन्तर्गत, जिसे इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल० 2-34(5)/64, दिनांक 10 जुलाई, 1967 द्वारा संशोधित किया गया था, अनुच्छेद 2 की वर्तमान मद 8 को निम्नलिखित मद से तबदील कर दिया जाए :—

(8) मुख्य बिजली अभियंता, गोवा, दमन व दीयू सरकार ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों, गोवा, दमन व दीयू तथा दादरा और नागर हवेली के संघीय प्रदेशों, केन्द्रीय बिजली प्राधिकार, पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, केन्द्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधानमंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

के० पी० मधानी, सचिव

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय

(निर्माण तथा आवास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1967

संकल्प

सं० 25013(16)-ई० डब्ल्यू०/67—भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र में निर्माण सलाहकार बोर्ड (वर्क्स एडवाइजरी बोर्ड) को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है :—

2. **बोर्ड का गठन**

बोर्ड में एक अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा तीन सदस्य होंगे । हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे तथा वित्त सचिव, मुख्य इंजीनियर (एस०) तथा मुख्य इंजीनियर (एन०) बोर्ड के सदस्य होंगे ।

बोर्ड हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा ।

जब परिस्थितियों वश ऐसी आवश्यकता हो, तब बोर्ड को गैर-सरकारी विशेषज्ञों अथवा सरकार के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने का प्राधिकार होगा ।

बोर्ड के सचिवालय का कार्य लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश के संबंधित मुख्य इंजीनियर के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा ।

3. बोर्ड का कार्य निम्नांकित मामलों में सलाह देना होगा :—

(क) निम्नतम टेंडर अथवा अकेले (सिंगल) टेंडर अथवा निम्न- 15 लाख रुपये से ऊपर ।

	तम टेंडर वाले को बातचीत के द्वारा कार्य का दिया जाना, अथवा निम्नतम के अतिरिक्त अन्य किसी के टेंडर की स्वीकृति के द्वारा कार्य दिये जाने की स्वीकृति ।	
(ख)	टेंडर मांगे बगैर कार्य का दिया जाना तथा (ii) मांगे गये टेंडर के निष्फल हो जाने के बाद जिस फर्म ने कुटेशन नहीं दिये, उसे प्रारम्भ से बातचीत के द्वारा कार्य का दिया जाना ।	20,000 रुपये से ऊपर ।
(ग)	निष्फल निर्माण खर्चों को बट्टे खाते डालना ।	5,000 रुपये से अधिक अथवा ठेके के मूल्य का 1 प्रतिशत ।
(घ)	कार्य-प्रभारी कर्मचारियों के लिये सेवा की शर्तें लिखना ।	सभी मामलों में
(ङ)	50 पी० डब्ल्यू० में न आने वाले विभागीय प्रभारों की वसूली का परित्याग करना ।	1,000 रुपये अथवा अधिक के निर्माण के मामले में ।

4. मुख्य इंजीनियर, उपर्युक्त अधिकारों का पालन, निर्माण सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन से करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेज दी जाये ।

एम० भट्टाचार्य, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th September 1967

No. 87-Pres./67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police :

Names of the officers and ranks

Shri Mohammad Ishu,
Police Constable No. 561,
1st Battalion,
Central Reserve Police,
Neemuch. (*Deceased*)

Shri Sobha Ram,
Cook No. F/3,
1st Battalion,
Central Reserve Police,
Neemuch.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 21st December 1966, Constable Mohammad Ishu of a newly established Central Reserve Police post near village Ngaimu in Ukhrul Sub-Division of Manipur spotted some hostiles in a thicket near the post. Constable Ishu immediately engaged the hostiles with rifle fire which alerted the post. In the meantime the hostiles opened heavy fire with LMGs and rifles from all directions. Though in an exposed position, Constable Ishu continued to fire at the hostiles without any regard for his own life. But the enemy fire was very intense and a bullet hit Constable Ishu and killed him on the spot.

During the attack on the outpost, Shri Sobha Ram, a cook, left his kitchen and voluntarily started supplying reserve ammunition to the men in the firing positions. In doing so he exposed himself to the hostile fire but this did not deter him and he continued performing this risky duty until he was severely wounded by a hostile bullet. In spite of severe pain, Shri Sobha Ram refused to be evacuated and decided to stay on with his Company.

Constable Mohammad Ishu and Shri Sobha Ram displayed exceptional courage and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st December 1966.

No. 88-Pres./67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :

Names of the officers and ranks

Shri Som Prakash, I.P.S.,
Superintendent of Police,
Etah, Uttar Pradesh.

Shri Inam Ali,
Deputy Superintendent of Police,
Etah, Uttar Pradesh.

Shri Laxmi Raj Singh,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
Etah, Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of reliable information about the presence of the gang of the notorious dacoit Mahabira in village Nagla Sumer, District Etah, Shri Som Prakash, Superintendent of Police, proceeded there with a police force on the 21st May 1966. On reaching the village, a cordon was thrown round it and the Superintendent of Police organized a search for the dacoits. During the search the police found two guns with bandoliers of cartridges hanging in a *balthak*. Shri Som Prakash and Shri Inam Ali, Deputy Superintendent of Police, who was also a member of the party, went to the house opposite to enquire from the occupant about the whereabouts of the dacoits. While they were doing so, the dacoits threw a hand-grenade at them which exploded close-by setting fire to an adjoining thatched house. Fortunately Shri Som Prakash and Shri Inam Ali escaped injury. Under cover of the smoke, the dacoits managed to move to another house at the other end of the village. Shri Som Prakash and Shri Inam Ali lost no time in stating a fresh search for the dacoits and succeeded in locating them. As Shri Som Prakash, Shri Inam Ali and Shri Laxmi Raj Singh, Sub-Inspector, advanced towards the house, the dacoits threw another grenade at them which did not explode and three officers had another escape. Undeterred, they went to the house and tried to break open the main door. When the door was pushed, a dacoit fired at them. The bullet hit Shri Laxmi Raj Singh in the leg. Though injured, Shri Laxmi Raj Singh returned the fire. Shri Som Prakash called on the dacoits to surrender but they refused. In order to force the dacoits to come out, the Superintendent of Police ordered occasional burst of machine-gun fire while another party was detailed to throw hand-grenades through holes in the roof. Shri Inam Ali went on to the roof and threw a hand-grenade into the room. As a result, the dacoits took shelter in an adjacent room. Shri Inam Ali made a hole in the tin roof of that room and threw another grenade. Meanwhile, the dacoits fired at him and the bullets pierced the tin roof. After intermittent firing, the police party were able to eliminate all the dacoits. Some guns and large quantity of ammunition were recovered.

During this encounter Sarvashri Som Prakash, Inam Ali and Laxmi Raj Singh exhibited conspicuous courage and devotion to duty of a high order without regard for their personal safety.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and in the case of Shri Laxmi Raj Singh the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st May 1966.

The 20th September 1967

No. 89-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police.

Name of the officer and rank

Shri Hari Mohan Singh,
Sub-Inspector of Police,
Armed Branch, 6th Assam Police Battalion,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 9th November, 1966 at about 4 p.m., Shri Hari Mohan Singh, Sub-Inspector of Police, who was commanding the post at Gharmura on the Cachar Mizo Hills border, received information that about 30 well-armed Mizo hostiles had visited Lalcherra hamlet situated in the Reserve Forest. Though night was approaching and the route to Lalcherra was through deep jungle and deep ravines which would provide to the hostiles excellent terrain for an ambush, Shri Hari Mohan Singh took out a patrol of 12 men to intercept the hostile gang. Covering the distance in darkness, the police party reached Lalcherra Ghat at about 11 p.m. and spent the night in ambush. Early next morning they crossed the Dhaleshwari river on improvised bamboo rafts and though the men were very tired, Shri Hari Mohan Singh resumed his pursuit of the gang. At a suitable place they laid an ambush and after waiting for about three hours the hostiles appeared on the narrow path in the thick jungle. Under the leadership of Shri Hari Mohan Singh, the police party opened fire on the hostiles inflicting heavy casualties on them. The suddenness of the attack completely unnerved the hostiles who fled leaving behind one dead and a large quantity of arms and ammunition and looted property.

During this encounter Shri Hari Mohan Singh exhibited conspicuous courage, leadership and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th November 1966.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 19th September 1967

No. 1/3(1)(ii)/67-*ANL*.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Council associated with the Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, for the period up to 31-3-1968 :—

1. Shri P. M. Sayeed, Member, Lok Sabha, of Androth
2. Shri K. N. Cheriya Koya of Agatti.
3. Shri Puthiyapandaram Alikutty of Ameni.
4. Shri A. Attakoya Thangal of Kavaratti.
5. Smt Valumogothi Bitharuge Pathumma Koifa of Minicoy
6. Smt Ashrechetta Mytaoonath of Kadmat.
7. Shri Padippura Mohammed of Chetlat.
8. Shri Chariyabiyyaithiyoda Syed Mukhari of Bitra.
9. Shri K. Nallakoya Thangal of Androth.
10. Shri K. Mohammed Koya of Kazi of Kalpeni.

The 21st September 1967

No. 1/3(1)(i)/67-*ANL*.—In partial modification of rule (1) of the rules to regulate the constitution and procedure of the Advisory Council associated with the Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, notified in this Ministry's notification No. 71/36-(2)(i)/57-ANL dated June 29, 1957, as amended by this Ministry's notification No. 71/2(2)(i)62-ANL dated August 4, 1962. The President is pleased to increase the number of non-official members in the Council from six to ten.

A. D. PANDE, Jt. Secy

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 12th September 1967

No. 1-2/65-*MEI*.—Reference the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Egineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March, 1964 constituting a Panel for the Ball Bearing Industry.

2. It has been decided that Dr. Ram K. Vepa, I.A.S., Managing Director, Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Limited, Hyderabad shall be a Member of the Panel for Ball Bearing Industry *vice* Shri G. V. Ramakrishna, who has since relinquished charge of his post of Managing Director of the Corporation.

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

New Delhi, the 16th September 1967

RESOLUTION

Committee on Foreign Collaboration

No. IP&FC-5(1)/66.—In their Office Memorandum No. IP&FC-5(1)/66 dated the 19th February, 1966, the Government of India in the late Ministry of Industry constituted a Committee, under the Chairmanship of Dr. A. Ramaswamy Mudaliar, to recommend to Government general guide-lines regarding the utilisation of indigenous know-how and the types of cases in which foreign collaboration may be allowed. The terms of reference were :

(a) to examine the extent to which, at the present stage of our economic development, import of technical know-how from abroad can be dispensed with;

(b) to examine the general conditions subject to which indigenous know-how can be deemed to be capable of commercial exploitation; and

(c) to suggest general guide-lines regarding the type of cases in which foreign collaboration may be allowed.

2. The Committee in its report, submitted on the 4th May, 1967, has made the following main recommendations :

(i) A positive approach is needed to the problem of import of know-how, particularly of process know-how or product design. A distinction may be made for this purpose between the well-established industries and the newer and more sophisticated industries.

(ii) Generally speaking, in industries where substantial import of capital goods is involved and where Government's policy allows foreign capital participation, joint ventures involving foreign equity participation are more beneficial, as compared to other forms of collaboration.

(iii) Some of the basic questions which should be taken into account in assessing the suitability of indigenous know-how are :

(a) Has the indigenous know-how been commercially processed or is at least capable of commercial exploitation within a reasonably short period ?

(b) Is the know-how economical from the point of view of the investor and from the national point of view ?

(c) Is it likely to be made available to the new entrepreneur or is the know-how available only to another existing manufacturer, who is reluctant to part with the know-how to a competitor?

(iv) There is need for prior discussion between the Directorate General of Technical Development and the Council of Scientific and Industrial Research regarding need for foreign collaboration and terms

thereof. Unresolved differences of opinion should be promtply brought up before the Foreign Agreements Committee.

(v) The Technical Research Committees to be set up pursuant to the recommendations of the 'First get Together' on Research and Industry held in December, 1965 should play an important role. In particular, these Committees will undertake studies, wherever appropriate of the comparative merits of different types of know-how in the light of Indian conditions and raw material availability.

(vi) Taking into considration the limitations of indigenous know-how, there is need for an independent Corporation, such as the National Research Development Corporation, which should ensure the availability of design and engineering services and provide the risk capital for the entrepreneurs taking up commercial development of indigenous know-how. The National Research Development Corporation should play a vital role in generating confidence in industry and in providing risk and development capital besides its present activity of licensing of the know-how developed in the Council of Scientific and Industrial Research and other Government laboratories.

(vii) The Council of Scientific and Industrial Research should take action to generate confidence in industry regarding indigenous know-how. The Committee has recommended various steps which should be taken in order to enable the National Research Development Corporation to play the role for which it was set up.

(viii) There is need for a Central Co-ordinating Unit in the Ministry of Industrial Development & Company Affairs to watch the progress of the disposal of applications for foreign collaboration. Cases remaining undisposed of for 3 months should be promptly brought up for consideration by the Foreign Agreements Committee, even if they fall within the purview of the delegated powers of Ministries.

(ix) No rigid rule should be followed in the matter of the duration of technical collaboration agreements; normally, the duration of the original agreements should be between 5 to 10 years from commencement of production.

(x) On the question of avoidance of repetitive import of technology, it is neither practicable nor desirable to resort to any sort of compulsion on existing manufacturers to part with their know-how. It would be more appropriate to consider the likelihood of an existing unit giving the process know-how or product design to a consultancy firm on the basis of a negotiated agreement. Fiscal incentives should be given to existing units which pass on their know-how to others.

(xi) There is need for greater stress on research and development. Fiscal incentives should be provided for encouraging research and development. The industry should be given corporate tax relief to the extent of double the expenditure on research and development as well as a liberal treatment in regard to provision for foreign exchange for import of essential instruments and equipment for research laboratories.

(xii) There is need for further development of design and consultancy services to fill existing gaps.

(xiii) Government should arrange for a detailed study of the policies followed by Japan in the matter of combining liberal import of know-how with the rapid development of indigenous research and know-how.

(xiv) The Public Sector can play a useful role in the process of fostering the development of indigenous technical know-how and design and engineering services.

(xv) A liberal approach would be worthwhile in regard to foreign collaborations in the case of substantially export-oriented industries.

3. *Government's decision on the Committee's recommendations.*

Government, after careful consideration, accepts in general the above recommendations of the Committee, subject to the observations made below. Government would also like to reiterate in this context the importance of encouraging the utilisation of indigenous know-how and of giving, within the limits practicable, some incentives and special facilities to those who are desirous of using indigenous know-how, particularly in regard to facilities of importing essential equipment and raw materials.

Recommendation No. (ii)

It is necessary to emphasise the view, to which the Commitee has also given expression, that in the case of processes which are long-established and are unlikely to be overtaken in the near future by technological obsolescence, outright purchase of design, know-how etc would be more advantageous than capital participation.

Recommendation No. (ix)

While accepting this recommendation, Government considers that in the matter of extension of existing agreements, a stricter approach than has hitherto been followed should be adopted.

Recommendation No. (x)

In respect of processes where the know-how payments are very high and particularly in the chemical industries the number of collaborations could be even more restricted than the five or six envisaged by the Committee. In respect of private consultancy organisations which are allowed to import the know-how for being passed on to others, suitable conditions will have to be imposed to ensure that other parties are able to receive the know-how on reasonable terms.

Recommendation No. (xi)

The suggestion that Government should give corporate tax relief to the extent of double the expenditure on research and development is not acceptable in principle and may also lead to abuse. Government agree to the suggestion about liberal treatment in regard to provisions for foreign exchange for import of essential instruments and equipment for research laboratories.

Recommendation No. (xv)

It is desirable that the expression "substantially export-oriented" should be defined. In the case of industries which are well-established in the country and where foreign collaboration is normally not allowed, the export should be of the order of about 75%. In other cases, the quantum of exports to qualify for this special treatment may be left to be decided on the merits of each case.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

N. N. WANCHOO, Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture—ICAR)

New Delhi, the 16th September 1967

No. 30(1)/67-CDN(I).— Under the Provision of Rule 34 read with Rules 35 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the following persons who ceased to be members of the Governing Body of the Council, under Rule 35 read with Rule 11(b) of those Rules, have been reappointed/renominated as members of the Governing Body for the un-expired portion of their respective terms of membership or till such time as their successors are appointed/nominated on that Body, whichever period expires earlier, as indicated against each of them : —

S. No.	Name etc.	Date of termination of membership	Period for which reappointed/ renominated
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. T. S. Sadasivan, Director, University Botany Laboratory, Madras.	28th March, 1967.	Re-appointed from the 28th March, 1967 to the 16th February, 1969.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Dr. K Ramiah, Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar	30th May, 1967	Re-appointed from the 30th May, 1967 to the 16th February, 1969
3	Shri S J Majumdar, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation, (Department of Agriculture), New Delhi	30th May, 1967	Re-nominated from the 30th May, 1967 to the 24th March, 1969 as a representative of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture)
4	Dr Atma Ram, Director General, Council of Scientific and Industrial Research and Ex-officio Secretary to the Government of India, Ministry of Education, New Delhi-1	30th May, 1967	Re-appointed from the 30th May 1967 to the 3rd April, 1969, as a representative of the Ministry of Education

P S HARIHARAN, Deputy Secy

New Delhi the 18th September 1967

No 29(1)/66 *CDN(I)*—The resignation of Dr Triguna Sen, the then Vice Chancellor of Banaras Hindu University, who had been nominated by the Minister of Food and Agriculture as a member of the Standing Committee for Agricultural Research for a period of three years with effect from the 31st July, 1966, has been accepted

2. In exercise of the powers vested in him under Rule 75 read with Rules 77 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate Shri B M K Sinha, Vice-Chancellor, University of Bihar, Muzaffarpur as a member of the Standing Committee for Agricultural Education of the Council for the period from the 1st August 1967 to the 30th July 1969, or till such time as Shri Sinha's successor is nominated by him on the Committee, whichever period expires earlier

R K RAM, Dy Secy

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 16th September 1967

No 1/6/67 *HC*—The Government of India have decided to reconstitute the All India Handicrafts Board which was originally set up under the Ministry of Commerce and Industry Resolution No 51-Cot Ind (1)/52, dated the 5th November, 1952 and subsequently reconstituted from time to time The personnel of the reconstituted Board will be as follows and term of office of the non official members will be for a period of three years with effect from the 17th September 1967 —

Chairman

1 Shri T N Singh

Vice Chairman

2 Shrimati Kitty Shiva Rao

Member-Secretary

3 Shri D N Saraf

Members

4 Shrimati Indira Ramadurai, Chairman, Madras Handicrafts Emporium, Madras

5 Shrimati Prabha Shah, Chairman Sohan Sahkari Sangh, Bombay

6 Shrimati Kamla Reddy, Chairman Mysore Govt Arts & Crafts Emporium

7 Shri Abhijit Barua.

8 Shrimati Pratibha Singh

9 Shri Subramaniam

10 Shrimati Homi J H Taleyarkhan

11 Shri L C Jain

12 Shri Asok Mitra

13 Shrimati Renu Chakravarti

14 Shrimati Sheela Bhatia

15 Shrimati Qamar Ahmad

16 Shrimati Indira Luthra

17 Shri Inder Mohan

18 Shrimati Prakash Malik

19 Shrimati Kamla Kumari, M P (Lok Sabha) (Bihar)

20 Shrimati Padmawati Devi, M P (Lok Sabha) (Madhya Pradesh)

21 Shri Dhuleshwar Meena, M P (Lok Sabha) (Rajasthan)

22 Begum Sajda Zameer

23 Shri Tulsidas Jadhav, M P (Lok Sabha) (Maharashtra)

24 Shrimati Sangam Laxmi Bai, M P (Lok Sabha) (Andhra Pradesh)

25 Representative of National Design Institute

26 Representative of Deptt of Tourism

27 Representative of H H E C New Delhi

28 Member Secretary, Khadi & Village Industries Commission

29 Director, All India Handloom Board

30 Chairman, U P Handicrafts Board

31 Chairman, Bengal Handicrafts Board

32 Chairman Andhra Pradesh Handicrafts Board

33 Chairman, Maharashtra Handicrafts Board

34 Chairman, Rajasthan Small Industries Corporation

35 Chairman, Gujarat State Handicrafts Board

36 Chairman, Madras State Handicrafts Board

37 Chairman, Kerala State Handicrafts Board

38 Chairman, Orissa Handicrafts Cooperative Development Corporation

39 Chairman, Bihar Small scale Industries Corporation

40 Chairman Assam Government Small Industries Marketing Corporation

41 Trade Commissioner, Jammu & Kashmir Government Trade Commission, Delhi

42 One representative of the Ministry of Commerce (Shri C N Modawal)

43 Director of Exhibitions, Ministry of Commerce

2 The functions of the Board will be generally to advise Government on the problems of the handicrafts industries regarding measures necessary for the improvement and development of these industries and in particular,

(a) to study the technical financial, organisational, artistic and other aspects of these industries and to recommend measures for their development;

(b) to advise and assist the State Governments in planning and executing schemes for the development of handicrafts and to coordinate such developmental efforts among various State Governments;

(c) to examine the proposals received from the State Governments and other institutions for general financial assistance and to make recommendations to the Government of India in such cases,

(d) to formulate schemes to be undertaken directly by the Central Government,

(e) to advise on measures for expansion and promotion of sales of handicrafts in India and abroad; and

(f) to recommend any other measures necessary for the development of handicrafts such as technological improvement, design development, quality control, research, training and extension, publicity, organisation of museums, cooperatives and allied institutions, securing of raw materials and credit and housing and welfare of craftsmen

3 The Board may appoint with the prior approval of the Government Committees and Sub Committees and panels of experts to deal with special problems or groups of problems in regard to the development of handicrafts etc

4 The Board shall meet at least once in every four months in a year

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India

P SITARAMAN, Dy Secy

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 13th September 1967

No EL II 34(45)/66—With the formation of the Haryana State Electricity Board it has become a necessary to associate the aforesaid Board on the Northern Regional Electricity Board It has been decided that, in partial modification, para 2 of this Ministry's Resolution No EL-II-35(3)/63, dated the 13th February, 1964, relating to the composition and Chairmanship of the Northern Regional Electricity Board, as amended *vide* this Ministry's Resolution No EL II 34(27) 66 dated the 5th August, 1966 may be reworded as follows —

(i) Minister of State Incharge of Works, Irrigation and Power, Jammu & Kashmir or his representative
(ii) The Chairman, Punjab State Electricity Board,
(iii) The Chairman Rajasthan State Electricty Board,
(iv) The Chairman U P State Electricty Board
(v) The Chairman, Delhi Electric Supply Committee
(vi) The Chairman, Haryana State Electricity Board,
(vii) The Chief Secretary, Himachal Pradesh,
(viii) A representative of the Central Electricity Authority and
(ix) The Member Secretary

The Chairman of the Punjab State Electricity Board shall be the Chairman of the Regional Board for a period of two years Thereafter members from Delhi, Haryana, Himachal Pradesh Jammu and Kashmir Rajasthan and Uttar Pradesh shall be the Chairmen for a period of one year each by rotation in alphabetical order

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments of Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh Haryana and the Union Territories of Delhi Himachal Pradesh and Chandigarh the Ministries of the Government of India the Prime Minister's Secretariat the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India

The 14th September 1967

No EL II 34(15)/67—In this Ministry's Resolution No EL II 35(2)/63, dated the 28th March, 1964 constituting the Western Regional Electricity Board comprising the States of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, as amended by this Ministry's Resolution No EL II 34(5)/64, dated the 10th July, 1967, in para 2 for the existing entry (viii) the following entry may be substituted

(viii) Chief Electrical Engineer,
Government of Goa, Daman and Diu

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments and State Electricity Boards of Gujarat Maharashtra and Madhya Pradesh, the Union Territories of Goa Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, the Central Electricity Authority, the Western Regional Electricity Board the Central Electricity Board, the Ministries of Govt of India, the Prime Minister's Secretariat the Secretary to the President of India, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India

K P MATHRANI, Secy

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi the 18th September 1967

CORRIGENDUM

No WB 15(14)/67—In the Resolution No WB 15(14)/67 dated 5th September 1967 of the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) the following amendment shall be made —

For the words "in place of Shri R P N Sinha"
Read "in place of Shri Jagannath Rao Chandrika"

ORDER

ORDERED that the corrigendum be communicated to all concerned

ORDERED also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information

HANS RAJ CHHABRA Under Secy

RESOLUTION

New Delhi the 20th September 1967

No 36/37/66-*I&E*—In further modification of the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Resolution No 36/37/66-I&E dated August 24, 1967, Shri D C Kothari is appointed as a member of the National Commission on Labour *vice* Shri Bhaskar Mitter

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India Part I, Section 1

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India/State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned

R L MITHA Additional Secy

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1967